

अनुदान संख्या 16 - सहकारिता मंत्रालय
GRANT No. 16 - MINISTRY OF COOPERATION

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	1182,38,00		
		1182,40,00	735,74,88	-446,65,12
पूरक	Supplementary	2,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			446,46,29
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	1,01,00		
		2,88,00	2,24,55	-63,45
पूरक	Supplementary	1,87,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			63,40

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

1. In the revenue section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2425"	Major Head "2425"			
सहकारिता	Co-operation			
मू.	O.	73344.00		
पू.	S.	1.00	59527.18	59527.06
पु.	R.	-13817.82		-0.12

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
------------------------------	--	--

शीर्ष मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Head Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	41572.00	11149.90	11149.90
पु.	R.	-30422.10		

(I) ₹2.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा। (I) Provision of ₹2.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.

(II) मुख्य शीर्ष "2425" - "ऋण सहकारी समितियों को सहायता" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:- (II) Under Major Head "2425" - "Assistance to credit co-operatives" - savings occurred under the following heads:-

(का) "प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कम्प्यूटरीकरण" - ₹7587.64 लाख की बचत (₹10100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और (A) "Computerization of Primary Agriculture Credit Societies (PACS)" - saving of ₹7587.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10100.00 lakhs); and

(खा) "आईटी की मदद के माध्यम से सहकारिता को सुदृढ़ करना" - ₹5399.28 लाख की बचत (₹6696.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई। (B) "Strengthening of Cooperatives through IT Interventions" - saving of ₹5399.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6696.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें संघ राज्य क्षेत्रों/कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई। Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals from Union Territories/ implementing agencies and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) मुख्य शीर्ष "3601" - "केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ - केन्द्रीय सहायता/हिस्सा" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:- (III) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share" - savings occurred under the following heads:-

(का) "प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कम्प्यूटरीकरण" - ₹29144.00 लाख की बचत (₹39500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और (A) "Computerization of Primary Agricultural Credit Societies" - saving of ₹29144.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹39500.00 lakhs); and

(खा) “सहकारिता स्कीम” – ₹1278.10 लाख की बचत (₹2072.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्यों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(IV) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹830.00 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक किंतु ₹500.00 लाख से अधिक नहीं थी तथा स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत थी।

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹63.45 लाख) दिसम्बर, 2024 में प्राप्त किए गए ₹187.00 लाख की पूरक अनुदानों का 34 प्रतिशत तथा कुल स्वीकृत प्रावधान का 22 प्रतिशत थीं।

(B) “Scheme for Cooperatives” - saving of ₹1278.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2072.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals from States and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(IV) Under two heads saving of ₹830.00 lakhs occurred each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 12 percent and 28 percent of the sanctioned provision.

2. In the capital section of the grant, the overall savings (₹63.45 lakhs) constituted 34 percent of the supplementary grants of ₹187.00 lakhs obtained in December, 2024 and 22 percent of the total sanctioned provision.